"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2006—आश्विन 14, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/90/2006/वाक/पांच (82).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

1. नियम 8 के उपनियम (5) के अंत में वाक्य "व्यापारी प्ररूप 6 में विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है" जोड़ा जाए.

2. नियम 8 के उपनियम (10) के अंत में वाक्य "व्यापारी प्ररूप 7 में विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है" जोड़ा जाए.

3. नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (क) के अंत में वाक्य "व्यापारी प्ररूप 17 में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है" जोड़ा जाए.

4. नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अंत में वाक्य "व्यापारी प्ररूप 18 में विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है" जोड़ा जाए.

5. नियम 36 के उपनियम (1) में शब्दों "जो तत्समय छत्तीसगढ़ सरकार के कोषालय कारबार का संव्यवहार कर रही है" के पश्चात् शब्दों "अथवा छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 एवं भाग-2 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रानिक पद्धति से" जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-10/90/2006/वाक/पांच (82).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/90/2006/वाक/पांच (82), दिनांक 6-10-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th October 2006

NOTIFICATION

No. F-10/90/2006/CT/V (82).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 from the date of publication in official gazette, namely.—

AMENDMENT

1. At the end of sub-rule (5) of rule 8, the sentence "A dealer may file statement in Form 6 electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner" shall be added.

2. At the end of sub-rule (10) of rule 8, the sentence "a dealer may file statement in Form 7 electronically affixing his digital signature issued by certifying authority athorised by the Commissioner" shall be added.

3. At the end of clause (a) of sub-rule (2) of rule 20, the sentence "a dealer may file return in Form 17 electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner" shall be added.

4. At the end of cluase (b) of sub-rule (2) of rule 20, the sentence "a dealer may file statement in Form 18 electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner" shall be added.

5. In sub-rule (1) of rule 36 after the words "which for the time being, is transacting treasury business of the Government of Chhattisgarh" the words "or electronically as per the provisions of Chhattisgarh Treasury Code Volume-I and Value-II" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/90/2006/वाक/पांच (83).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (3), (4) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

1. नियम 7-क के उपनियम (1) के अंत में वाक्य "व्यापारी प्ररूप-पांच में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है" जोड़ा जाए.

2. नियम 7-क के उपनियम (2) के अंत में वाक्य "व्यापारी प्ररूप-छ: में सूची इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है" जोड़ा जाए.

3. नियम 11 के अंत में वाक्य "भुगतान छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 एवं भाग-2 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रानिक पद्धति से भी किया जा सकता है" जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-10/90/2006/वाक/पांच (83).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/90/2006/वाक/पांच (83), दिनांक 6-10-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th October 2006

NOTIFICATION

No. F-10/90/2006/CT/V (83).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rules, 1957 from the date of publication in official gazette, namely.—

AMENDMENT

1. At the end of sub-rule (1) of rule 7-A, the sentence "a dealer may file return in Form V electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner" shall be added.

2. At the end of sub-rule (2) of rule 7-A, the sentence "a dealer may file list in Form VI electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner" shall be added.

3. At the end of rule 11, the sentence "The payment may also be made electronically as per the provisions of Chhattisgarh Treasury Code Volume-I and Volume-II" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/90/2006/वाक/पांच (84).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

1. नियम 8 के उपनियम (1) के अंत में वाक्य "व्यापारी प्ररूप-सात में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है" जोड़ा जाए.

2. नियम 9 के उपनियम (1) के अंत में वाक्य "भुगतान छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 एवं भाग-2 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रानिक पद्धति से भी किया जा सकता है" जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-10/90/2006/वाक/पांच (84).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/90/2006/वाक/पांच (84), दिनांक 6-10-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th October 2006

NOTIFICATION

No. F-10/90/2006/CT/V (84).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976 from the date of publication in official gazette, namely,—

AMENDMENT

1. At the end of sub-rule (1) of rule 8, the sentence "a dealer may file return in Form VII electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner" shall be added.

2. At the end of sub-rule (1) of rule 9, the sentence "The payment may also be made electronically as per the provisions of Chhattisgarh Treasury Code Volume-I and Volume-II, shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.